



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237392
CG-DL-E-20072022-237392

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3086]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/आषाढ़ 29, 1944

No. 3086]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

का.आ. 3246(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4871(अ.) तारीख 24 नवम्बर 2021, भारत के राजपत्र तारीख 25 नवम्बर, 2021 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला-गोरखपुर एल0पी0जी0 पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील-उन्नाव, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश राज्य में एल0पी0जी0 गैस के परिवहन हेतु आई0एच0बी0 लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी, और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबंधित भू-स्वामियों को तारीख 5, जनवरी, 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई0एच0बी0 लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई0एच0बी0 लिमिटेड उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : उन्नाव		राज्य : उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर - आर - वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	बड़ौरा	842	00	00	35
		880	00	00	05
		877	00	01	83
		888	00	00	72
		887	00	00	14
		891	00	02	12
		892	00	04	73
		893	00	00	83
उन्नाव	नेवरना	14	00	13	00
		7	00	00	07
		8	00	01	86
		11	00	01	94
		10	00	02	06
		42	00	10	98
		41	00	00	66
		72	00	07	29
		73	00	08	85
		69	00	00	20
		67	00	01	66
		88	00	00	50
		89	00	07	47
		98	00	07	23
		99	00	00	74
		97	00	00	20
		136	00	07	71
		138	00	00	20
		134	00	00	53
		143	00	04	65
		144	00	05	36
		146	00	06	44
		1903	00	00	20
		1902	00	01	87
		1904	00	03	59
		1901	00	00	20

		1905	00	01	45
		1896	00	05	11
		1906	00	00	20
		1895	00	04	53
		1894	00	02	34
		1891	00	05	59
		1893	00	02	48
		1892	00	04	20
		1888	00	05	33
		1877	00	14	19
		1886	00	00	20
		1887	00	00	43
		1975	00	01	48
		1974	00	01	82
		1984	00	00	59
		1985	00	08	34
		1990	00	00	03
		1992	00	05	30
		1983	00	00	78
		1982	00	02	28
		2412	00	00	35
		2324	00	02	48
		2898	00	00	76
		2913	00	01	02
		2930	00	00	05
		2932	00	02	11
		3051	00	00	20
		3050	00	02	71
		3049	00	02	51
		3048	00	03	55
		3055	00	00	20
		3029	00	05	95
		3031	00	03	43
		2266	00	00	40
		2980	00	03	00
		2981	00	06	18
उन्नाव	पड़रीकलॉ	201	00	07	81
		202	00	02	72
		196	00	01	91
		204	00	00	57

195	00	01	34
194	00	01	21
184	00	00	38
185	00	00	34
186	00	05	72
187	00	00	20
259	00	09	38
253	00	02	13
252	00	02	62
254	00	03	35
285	00	02	02
284	00	00	88
286	00	01	61
281	00	04	86
290	00	01	94
280	00	00	37
292	00	04	18
306	00	00	46
305	00	04	92
307	00	08	28
309	00	02	85
707	00	08	64
715	00	04	93
714	00	02	17
716	00	01	56
713	00	00	20
711	00	01	28
724	00	03	32
725	00	05	98
726	00	03	52
728	00	02	02
729	00	03	37
775	00	00	20
776	00	06	52
774	00	02	50
777	00	00	50
773	00	03	05
772	00	01	80
764	00	04	12
765	00	02	97

759	00	01	27
760	00	00	50
878	00	06	61
898	00	00	79
899	00	00	15
924	00	10	22
1544	00	01	78
2370	00	00	37
2111	00	04	88
2223	00	05	64
2221	00	00	02
3567	00	02	92

[फ. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th July, 2022

S.O. 3246(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4871 (E)) Dated the 24, November 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 25 November, 2021 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Kandla - Gorakhpur LPG pipeline for the transportation of LPG from Kandla in the state of Gujarat to Gorakhpur in the state of Uttar Pradesh - Tehsil :- Unnao, District - Unnao in the state of Uttar Pradesh by I.H.B. Ltd.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owner by 5th January, 2022.

And whereas Competent Authority I.H.B. Ltd., has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in I.H.B. Ltd., free from all encumbrances.

I.H. B. Ltd. shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Unnao		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.	- Are	- Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Unnao	Badaura	842	00	00	35
		880	00	00	05
		877	00	01	83
		888	00	00	72
		887	00	00	14
		891	00	02	12
		892	00	04	73
		893	00	00	83
Unnao	Nevarna	14	00	13	00
		7	00	00	07
		8	00	01	86
		11	00	01	94
		10	00	02	06
		42	00	10	98
		41	00	00	66
		72	00	07	29
		73	00	08	85
		69	00	00	20
		67	00	01	66
		88	00	00	50
		89	00	07	47
		98	00	07	23
		99	00	00	74
		97	00	00	20
		136	00	07	71
		138	00	00	20
		134	00	00	53
		143	00	04	65
		144	00	05	36
		146	00	06	44
		1903	00	00	20
		1902	00	01	87
		1904	00	03	59
		1901	00	00	20
		1905	00	01	45
		1896	00	05	11
		1906	00	00	20
		1895	00	04	53
		1894	00	02	34
		1891	00	05	59
		1893	00	02	48

		1892	00	04	20
		1888	00	05	33
		1877	00	14	19
		1886	00	00	20
		1887	00	00	43
		1975	00	01	48
		1974	00	01	82
		1984	00	00	59
		1985	00	08	34
		1990	00	00	03
		1992	00	05	30
		1983	00	00	78
		1982	00	02	28
		2412	00	00	35
		2324	00	02	48
		2898	00	00	76
		2913	00	01	02
		2930	00	00	05
		2932	00	02	11
		3051	00	00	20
		3050	00	02	71
		3049	00	02	51
		3048	00	03	55
		3055	00	00	20
		3029	00	05	95
		3031	00	03	43
		2266	00	00	40
		2980	00	03	00
		2981	00	06	18
Unnao	Padrikalan	201	00	07	81
		202	00	02	72
		196	00	01	91
		204	00	00	57
		195	00	01	34
		194	00	01	21
		184	00	00	38
		185	00	00	34
		186	00	05	72
		187	00	00	20
		259	00	09	38
		253	00	02	13
		252	00	02	62
		254	00	03	35
		285	00	02	02
		284	00	00	88
		286	00	01	61

281	00	04	86
290	00	01	94
280	00	00	37
292	00	04	18
306	00	00	46
305	00	04	92
307	00	08	28
309	00	02	85
707	00	08	64
715	00	04	93
714	00	02	17
716	00	01	56
713	00	00	20
711	00	01	28
724	00	03	32
725	00	05	98
726	00	03	52
728	00	02	02
729	00	03	37
775	00	00	20
776	00	06	52
774	00	02	50
777	00	00	50
773	00	03	05
772	00	01	80
764	00	04	12
765	00	02	97
759	00	01	27
760	00	00	50
878	00	06	61
898	00	00	79
899	00	00	15
924	00	10	22
1544	00	01	78
2370	00	00	37
2111	00	04	88
2223	00	05	64
2221	00	00	02
3567	00	02	92

[F. No. R-11025(15)6/2020-OR-1/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under secy.